

राजस्थान सरकार
आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

दिनांक- 26/9/2021

क्रमांक- एक 5(प)(56)एसीटीएडी/माडा/SCA/अजमेर/2021-22/28371-77
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा), जिला परिषद (प्रा.वि.प्र.), अजमेर।

विषय- विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत सड़क निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति।
प्रसंग- प्रशासनिक स्वीकृति संख्या 27239-50 दिनांक 21.09.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में विभागीय परिपत्र क्रमांक 9609-34 दिनांक 12.03.2021 के अनुसार कन्ट्रिन्जेन्सी चार्ज 1.50 प्रतिशत अनुमत करते हुए, जिसके अन्तर्गत 0.25 प्रतिशत आयुक्तालय के खाते में आवश्यक मानव संसाधन के नियोजन, क्षेत्रीय निरीक्षण हेतु वाहन उपलब्ध कराने एवं थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन के लिए मॉनिटरिंग हेतु आरक्षित रखते हुए कार्यकारी एजेन्सी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के आधार पर विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत माडा कलस्टर क्षेत्र जिला- अजमेर में निम्न सी.सी. रोड मय नाली निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति राशि रूपय 15.00 लाख की जारी की जाती है-

कार्यकारी एजेन्सी- ग्राम पंचायत

क्र. सं.	कार्य का नाम	प्रशा स्वीकृति		तकनीकी स्वीकृति		अनुमत राशि 1.5% (रु.में)	अनुमत में से जिला परिषद को देय राशि 1.25%(रु.में)	अनुमत में से आयुक्त खाते में आरक्षित राशि 0.25%(रु.में)	देय राशि (प्रथम किश्त) लाख रु
		क्रमांक / दिनांक	राशि लाख रु	क्रमांक / दिनांक	राशि लाख रु				
1	स्कूल से लेकर मोहन मीणा की ओर सी सी रोड मय नाली निर्माण ग्राम व गा.पं.- चितिवास, पं.स. सावर	27239-50 / 21.09.2021	5.00	109 / 25.9.21	4.975	4.975	0.061	0.012	3.982
2	सूर्यराम रेणार के मकान से लेकर श्मशान घाट की ओर सी सी रोड मय नाली निर्माण ग्राम व गा.पं.- चितिवास, पं.स. सावर	27239-50 / 21.09.2021	5.00	110 / 25.9.21	4.975	4.975	0.061	0.012	3.982
3	मैन रोड से देवनारायण तक सी सी रोड मय नाली निर्माण ग्राम व गा.पं.- चितिवास, पं.स. सावर	27239-50 / 21.09.2021	5.00	111 / 25.9.21	4.975	4.975	0.061	0.012	3.982
	योग		15.00		14.925	14.925	0.183	0.036	11.946

उपरोक्त कार्य हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा), जिला परिषद (प्रा.वि.प्र.), अजमेर को राज्य सरकार द्वारा जारी स्वीकृति संख्या 21/2014-15 से राशि रु. 10.00 लाख एवं स्वीकृति संख्या 82/2014-15 से राशि रु. 1.946 लाख हस्तांतरित की जायेगी।

53

राजस्थान सरकार
आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

कार्यों के संपादन में निम्नलिखित शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे-

1. यदि उपरोक्त स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब सूचित किया जावे। दोहरे व्यय के लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
2. कार्यकारी एजेन्सी एवं तकनीकी स्वीकृति जारीकर्ता अधिकारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका की शर्तों के अनुसार कार्य का सम्पादन सुगवत्तापूर्वक किया जाने हेतु उत्तरदायी होगी।
3. निर्दिष्ट सार्वजनिक भूमि पर ही कार्य कराया जावे।
4. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही तकनीकी एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लौटाई जावे।
5. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं संशोधन नियम, 2013 तथा सामान्य वित्त एवं लेखा नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावे।
6. ग्रामीण कार्य निर्देशिका के प्रावधानों के अनुसार कार्यों का सम्पादन किया जावेगा एवं नियमानुसार उपयोगिता/कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर शेष राशि उपलब्ध करायेंगे।
7. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy में comm.tad@gmail.com पर प्रेषित करना सुनिश्चित करावे।
8. शेष देय राशि जिला परिषद की मांग अनुसार आयुक्तालय को उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर जारी की जावेगी।
9. कार्य स्थल पर जनजाति विकास विभाग द्वारा निर्माण कार्य का साईन बोर्ड (Display Board) लगाया जावे।
10. संबंधित कार्यकारी एजेन्सी को नियमानुसार राशि हस्तान्तरित कर आयुक्तालय को आदेश की प्रति भिजवावे।

(प्रज्ञा कवलरमानी).A.S.

आयुक्त

दिनांक-

क्रमांक- एफ 5(प)/56)एसीटीएडी / माडा / SCA / अजमेर / 2021-22 /

प्रतिलिपी -

1. विशिष्ट सहायक, मां.मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, अजमेर।
4. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा), जिला परिषद (शा.वि.प्र), अजमेर को राज्य सरकार द्वारा जारी स्वीकृति संख्या 21/2014-15 से राशि रु. 10.00 लाख एवं स्वीकृति संख्या 82/2014-15 से राशि रु. 1.946 लाख हस्तांतरित करावे। तालिका के कॉलम संख्या 10 में अंकित राशि रु. 0.036 लाख मानव संसाधन के नियोजन, क्षेत्रीय निरीक्षण हेतु वाहन उपलब्ध कराने एवं थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन के लिए मॉनिटरिंग हेतु आयुक्तालय के खाते में आरक्षित रखते हुए अलग से पुस्तांकन किया जावे।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सावर, जिला- अजमेर।
6. निदेशक, मॉनिटरिंग, लेखाकार (माडा), माडा मॉनिटरिंग, कम्प्यूटर शाखा, अभियांत्रिकी शाखा, कार्यालय हाजा।
7. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)

1 सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.)

EPABX : 2428721-24 FAX : 0294-2428721

E- Mail : comm.tad@rajasthan.gov.in, Website :www.tad.rajasthan.gov.in